

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit -I), MADHYA PRADESH, GWALIOR

क्र.प्रशा.-11/स-2/स.ले.प.अ./पदोन्नति/एफ-192/का.आ./109

दिनांक: 18.10.2023

**कार्यालय आदेश/Office Order**

निम्नलिखित कार्मिक को स्थानापन्न रूप से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 (₹47600-151100) में दिनांक 04.10.2022 से काल्पनिक आधार पर एवं पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण दिनांक से वास्तविक आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती-

The following official is promoted in officiating capacity to the post of Assistant Audit Officer in Level-8 (₹47600-151100) of Pay Matrix notionally w.e.f. 04.10.2022 and actually w.e.f. the date of joining the post of promotion.

क्रं. S.No	नाम व स्थाई क्रमांक Name & Prmtt. No.	पद Post	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है। Office where presently posted	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना Posting after promotion
1	श्री अनुराग सक्सेना Shri Anurag Saxena (05/10290)	लिपिक Clerk	कार्यालय महालेखाकार (ले.प. -द्वितीय) म.प्र., भोपाल O/o Accountant General (Audit-II), M.P., Bhopal	कार्यालय महालेखाकार (ले. प.-द्वितीय) म.प्र., भोपाल O/o Accountant General (Audit-II), M.P., Bhopal

नोट:- (1) उपर्युक्त कर्मचारी को पदोन्नति इस शर्त पर दी गई है कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय/सतर्कता/अनुशासनात्मक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण लंबित/परिचालित नहीं है, उनके विरुद्ध कोई शास्ति प्रचलित नहीं है एवं वे निलंबित भी नहीं है।

Above official is promoted subject to the condition that no departmental/ vigilance/ disciplinary/ court case proceedings are pending/contemplated, no penalty is current and the official is not under suspension.

(2) उनकी वरिष्ठता श्री राम दयाल मीना, स.ले.प.अ. (02/11286) के नीचे होगी। उन्हें काल्पनिक पदोन्नति की अवधि में वेतन एरियर की राशि के भुगतान की पात्रता है।

His seniority will be fixed under Shri Ram Dayal Meena, AAO (02/11286). Arrears would be admissible to him in the period of notional promotion.

(3) उपर्युक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP (C) No. 28306/2017, 30621/2011 एवं 31288/2017 connected to SLA (C) No. 28306/2017 प्रकरणों में जारी होने वाले आदेशों के अधीन होगी।

Above promotion will be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 28306/2017, 30621/2011 and 31288/2017 connected to SLA (C) No. 28306/2017.

(4) उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति दिनांक से एक माह के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु मूलभूत नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित प्रशासन अनुभाग में विकल्प प्रस्तुत करें।

Above promoted officers may submit the option under the provisions of Fundamental Rules for pay fixation within one month of date of promotion in the concerned Administration section.

(5) पदोन्नति के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति, उक्त आदेश जारी होने के सात दिन के अंदर संबंधित प्रशासन अनुभाग को सूचित करें। समयवधि में स्वीकृति प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उन्हें पदोन्नति स्वीकार नहीं है एवं तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

The willingness/unwillingness in respect of promotion may be informed in concerned admin section within 7 days from the issue date of this order. If acceptance is not received within the stipulated time period, it will be assumed that the promotion is not accepted and action will be taken accordingly.

हस्ता/-


वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

क. प्रशा.11/स-2/स.ले.प.अ./पदोन्नति/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
6. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा), संचार भवन ऐनेक्सी, होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-1 एवं 2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन 11, 12, 13, 14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, प्रशिक्षण/परीक्षा, आई.टी.ए.।
9. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई. एस. विंग को कार्यालयीन वेबसाइट एवं इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर प्रविष्टि करने हेतु।
12. महामंत्री/ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर।
13. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत फाइल।
14. गार्ड फाइल।
15. संबंधित अधिकारी।
16. सूचना पटल।

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11